ीलय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

– श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.)

4 / 2025

नं0: 2025 / 62 दर्ज दिनांक: 07.02.2025

थमल सैनी पुत्र प्रभात जाति माली निवासी कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांकः– 26.05.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि ग्राम उदयपुरवाटी पटवार हल्का उदयपुरवाटी के वर्तमान भूमि ख.नं. 3297 / 934 रकबा 0.0500 हैक्टर, ख.नं. 925 / 3213 रकबा 0.4400 हैक्टर, ख.नं. 937 रकबा 0.1500 हैक्टर, ख.नं. 939 रकबा 0.1100 हैक्टर कुल किता 4 का कुल रकबा 0.7500 हैक्टर भूमि अवस्थित है उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता का हिस्सा 3 / 10 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी के पिता की दर्ज हिस्से की भूमि पैत्रिक भूमि है। प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में प्रभातिराम पुत्र शंकरलाल सहवन से गलत दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी के पिता का सही व शुद्ध नाम प्रभात पुत्र शंकरलाल ही है तथा अन्य सभी दस्तावेजों में जैसे, मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड, परिवार राशन कार्ड, मुत्यु प्रमाणपत्र इत्यादी में भी प्रार्थी के पिता का सही नाम प्रभात पुत्र शंकरलाल ही अंकित है। प्रार्थी के पिता प्रभात पुत्र शंकरलाल व राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम प्रभातिराम पुत्र शंकरलाल एक ही व्यक्ति के नाम है प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से प्रभात पुत्र शंकरलाल के बजाय प्रभातिराम पुत्र शंकरलाल गलत दर्ज हो गया है जिससे प्रार्थी को कानूनी परेशानी है। जिसको प्रार्थी शुद्ध करवाना चाहता है।

अंत में निवेदन किया गया कि ग्राम उदयपुरवाटी पटवार हल्का उदयपुरवाटी के वर्तमान भूमि ख.नं. 3297 / 934 रकबा 0.0500 हैक्टर, ख.नं. 925 / 3213 रकबा 0.4400 हैक्टर, ख.नं. 937 रकबा 0.1500 हैक्टर, ख.नं. 939 रकबा 0.1100 हैक्टर कुल किता 4 का कुल रकबा 0.7500 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम प्रभातिराम पुत्र शंकरलाल के बजाय प्रभात पुत्र शंकरलाल शुद्ध कर दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई। अप्रार्थी तहसीलदार उदयपुरवाटी के पत्र कमांक भू.अ. / 2025 / 989 दिनांक 30.04.2025 से तथ्यात्मक जांच प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादपत्र में चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित व न्यायोचित है।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम उदयपुरवाटी पटवार हल्का उदयपुरवाटी के वर्तमान भूमि ख.नं. 3297 / 934 रकबा 0.0500 हैक्टर, ख.नं. 925 / 3213 रकबा 0.4400 हैक्टर, ख.नं. 937 रकबा 0.1500 हैक्टर, ख.नं. 939 रकबा 0.1100 हैक्टर कुल किता 4 का कुल रकबा 0.7500 हैक्टर भूमि अवस्थित है उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता का हिस्सा 3 / 10 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

र्थी के पिता की दर्ज हिस्से की भूमि पैत्रिक भूमि है। प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व पुत्र शंकरलाल सहवन से गलत दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी के पिता का सही व पुत्र शंकरलाल ही है तथा अन्य सभी दस्तावेजों में जैसे, मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड, कार्ड, मृत्यु प्रमाणपत्र इत्यादी में भी प्रार्थी के पिता का सही नाम प्रभात पुत्र शंकरलाल ही र्थी के पिता प्रभात पुत्र शंकरलाल व राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम प्रभातिराम पुत्र शंकरलाल व्यक्ति के नाम है प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से प्रभात पुत्र शंकरलाल के य प्रभातिराम पुत्र शंकरलाल गलत दर्ज हो गया है जिससे प्रार्थी को कानूनी परेशानी है। जिसको प्रार्थी शुद्ध करवाना चाहता है। अंत में निवेदन किया गया कि ग्राम उदयपुरवाटी पटवार हल्का उदयपुरवाटी के वर्तमान भूमि ख.नं. 3297/934 रकबा 0.0500 हैक्टर, ख.नं. 925/3213 रकबा 0.4400 हैक्टर, ख.नं. 937 रकबा 0.1500 हैक्टर, ख.नं. 939 रकबा 0.1100 हैक्टर कुल किता 4 का कुल रकबा 0.7500 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम प्रभातिराम पुत्र शंकरलाल के बजाय प्रभात पुत्र शंकरलाल शुद्ध कर दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर इस निर्णय पर पहुंचते है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

—::आदेश::—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम उदयपुरवाटी पटवार हल्का उदयपुरवाटी के वर्तमान भूमि ख.नं. 3297/934 रकबा 0.0500 हैक्टर, ख.नं. 925/3213 रकबा 0.4400 हैक्टर, ख.नं. 937 रकबा 0.1500 हैक्टर, ख.नं. 939 रकबा 0.1100 हैक्टर कुल किता 4 का कुल रकबा 0.7500 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम प्रभातिराम पुत्र शंकरलाल के स्थान पर प्रभात पुत्र शंकरलाल **शुद्ध व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।**

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

AnyScanner